न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 – 14/2017

अनवान :

1. हवासिंह पुत्र श्योजीराम जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– सायल

बनाम

1. बलवान पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।
2. दलवीर पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।
3. दयाराम पुत्र हजारीराम जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।
4. प्रमोद पुत्र बलवानसिंह जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।
5. अनील पुत्र बलवानसिंह जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र न्यायालय के आदेश की अवमानना बाबत।

अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए जाब्ता दिवानी

उपस्थिति : वकील श्री रामजस : **प्रार्थी**

निर्णय **दिनांकः** 28.5.18

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 2 एमएसआर के वर्तमान खाता सं0 84/93 के मु0नं0 23 के किला नं0 24 व 25 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 24 के किला नं0 11 ता 13, 18 ता 23 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0न0 33 के किला नं0 2 व 3 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0नं0 46 के किला नं0 16 व 17 प्रत्येक की 0.253 है0 कुल 3.795 है0 नहरी खातेदारी में सायल के नाम 1.884 है0 नहरी खातेदारी मुश्तर्का खातेदारी में दर्ज है।

प्रार्थी सायल ने इस आश्य का वाद व प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम माननीय न्यायालय में पेश किया जिसमें गैरसायलान ने जबाब पेश किया। माननीय न्यायालय द्वारा बाद सुनने उभय पक्षकारान दिनांक 30.10.2017 को एक पक्षीय बहस सुनी जाकर आदेश पारित किया कि अप्रार्थीगण आगामी पेशी तक प्रार्थी की कृषि भूमि में स्वयं या अपने आदमियो की मार्फत जबरदस्ती रास्ता या खाला का निर्माण नहीं करें।

गैरसायलान ने न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी होने के बावजूद न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2017 की स्पष्ट अवमानना व अवहेलना करते हुए नियतन सायल की कृषि भूमि चक 2 एमएसआर के मु0नं0 33 के किला नं0 2 व 3 के पश्चिमी तरफ दिनांक 21.11.2017 को खाला का निर्माण कर दिया और सायल द्वारा न्यायालय के आदेश की प्रति दिखाने के बावजूद गैरसायलान नहीं माने और आदेश की प्रति फाड़ दी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त गैरसायला ने जबाब पेश किया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस उभय पक्षकारान पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि न्यायालय के अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30.10.17 के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 21.11.2017 को खाला का निर्माण कर न्यायालय के आदेश की अवमानना व अवहेलना की।

न्यायालय के दिनांक 30.10.2017 के अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश का अवलोकन व मनन किया। उक्त आदेश में अंकन है " दोनों पक्ष विधि सम्मत कानूनी प्रक्रिया अपनाकर सम्बंधित विभागों से कार्यवाही हेतु स्वतंत्र रहेगें। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्वष्ट है कि अप्रार्थीगण दलवीर, बलवान पि0 हजारीराम द्वारा एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड भादरा को वास्ते आड़ स्वीकृति प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसरण में दिनांक 21.11.2017 को आड़ खुदवाई गई।

इस प्रकार प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में दी गई विधि सम्मत कार्यवाही की स्वतंत्रता के दायरे में ही उक्त कार्य किया गया। प्रार्थी ने ऐसा कोई तथ्य साबित नहीं किया है जिससे यह साबित हो कि उक्त कार्य अप्रार्थीगण या उसके आदमियों द्वारा जबरदस्ती किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित दिनांक 21.11.17 बाबत आड़ निर्माण व जल संसाधन द्वारा आड़ निर्माण मौका रिपोर्ट दिनांक 21.11.2017 समान दिनांक है जिससे प्रथम दृष्टया परिलक्षित होता है कि उक्त कार्य जल संसाधन विभाग द्वारा किया गया जो कि सम्बंधित सक्षम विभाग है। प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र साबित करने में असफल रहा है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए जाब्ता दिवानी साबित न होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.5.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ